



केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

(शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(An Autonomous Organisation under the Ministry of Education, Govt. of India)

CBSE/Co-ord/Veri/Class-XII/Supple/2025

01.08.2025

सूचना

(पूरक परीक्षा- 2025, कक्षा X/XII)

चूँकि कक्षा XII की पूरक परीक्षा-2025 का परिणाम घोषित कर दिया गया है, इसलिए कक्षा X/XII के छात्रों के लिए निम्नलिखित सुविधाएँ उपलब्ध कराई जा रही हैं:-

2025 में चरण इस प्रकार होंगे:

1. पहले चरण में, छात्र अपने इच्छित विषयों की स्कैन की हुई उत्तर-पुस्तिका के लिए अनुरोध कर सकते हैं।

2. दूसरे चरण में, छात्र निम्नलिखित के लिए आवेदन कर सकते हैं:

(क) अंकों का सत्यापन

(ख) पुनर्मूल्यांकन

(ग) अंकों का सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन दोनों

इन सुविधाओं का उपयोग करने वाले छात्रों से अनुरोध है कि बाद में किसी भी असुविधा से बचने के लिए, किसी भी चरण के लिए आवेदन करने से पहले दिशानिर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें।

सीनियर/सेकेंडरी स्कूल पूरक परीक्षा (कक्षा X/XII) 2024-25 के लिए कार्यप्रणाली और समय-सारिणी नीचे दी गई है। -

1. इच्छित विषयों की स्कैन की हुई उत्तर-पुस्तिका के लिए अनुरोध।

2. इसके बाद, छात्र अपनी उत्तर-पुस्तिकाओं का सत्यापन करने के बाद निम्नलिखित के लिए आवेदन कर सकते हैं:

(क) अंकों का सत्यापन

(ख) पुनर्मूल्यांकन

(ग) सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन दोनों

सामान्य दिशानिर्देश

1. अनुरोध करने और प्रसंस्करण शुल्क का भुगतान करने की पूरी प्रक्रिया "ऑनलाइन" है।

2. प्रसंस्करण शुल्क के साथ सभी प्रक्रियाओं के लिए अनुरोध केवल ऑनलाइन माध्यम से और निर्धारित समय-सारिणी के दौरान ही स्वीकार किए जाएंगे। निर्धारित तिथि और समय के बाद, तथा ऑफलाइन माध्यम से किया गया कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

3. प्रसंस्करण शुल्क केवल ऑनलाइन (क्रेडिट/डेबिट कार्ड/नेट बैंकिंग) प्रस्तुत किया जा सकता है। प्रसंस्करण शुल्क पोस्टल ऑर्डर/डीडी/मनी ऑर्डर/चेक/नकद आदि के माध्यम से स्वीकार नहीं किया जाएगा।

4. सीबीएसई द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार आवेदन प्रस्तुत न किए जाने पर बिना किसी पत्राचार के सीधे तौर पर अस्वीकार कर दिए जाएंगे।





केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

(शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(An Autonomous Organisation under the Ministry of Education, Govt. of India)

5. ऑनलाइन प्रक्रिया में, प्रत्येक चरण के लिए प्रति उम्मीदवार केवल एक ही आवेदन स्वीकार किया जाएगा। उम्मीदवार को पहले से ही यह नियत कर लेना चाहिए कि उसे एक विषय के लिए आवेदन करना है या अनेक विषयों के लिए। एक बार आवेदन करने के बाद, दूसरा अवसर नहीं दिया जाएगा। इसे सुनिश्चित करने के लिए, छात्र एक ऑनलाइन वचनपत्र प्रस्तुत करेंगे।
6. बोर्ड, अपने नियंत्रण से बाहर के कारणों से, अंकों में संशोधन या प्रक्रिया में देरी के कारण होने वाले किसी भी परिणाम के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।
7. अंकों में एक अंक की भी कमी होने पर उसे लागू किया जाएगा।
8. जिन मामलों में अंकों में बदलाव होता है (बढ़ना या घटना दोनों), ऐसे उम्मीदवारों को अपने पास मौजूद 'अंक विवरण-सह-प्रमाण पत्र' वापस प्रस्तुत करना होगा। उसके बाद, उन्हें एक नया 'अंक विवरण-सह-प्रमाण पत्र' जारी किया जाएगा।
9. किसी भी चरण पर प्रस्तुत किया गया प्रसंस्करण शुल्क वापस नहीं किया जाएगा।

(I) मूल्यांकन की गई उत्तर-पुस्तिका की फोटोकॉपी प्राप्त करने के लिए आवेदन

- क) पहले चरण में अब मूल्यांकन की गई उत्तर-पुस्तिका की फोटोकॉपी का अनुरोध करना शामिल है। इससे छात्रों को यह देखने का मौका मिलता है कि उनके प्रश्नपत्रों का मूल्यांकन कैसे किया गया और अंक कैसे दिए गए हैं।
- ख) कक्षा-XII के लिए सामान्य प्रसंस्करण शुल्क और समय-सारिणी अनुलग्नक I (क) में दी गई है; कक्षा X के लिए, समय-सारिणी अनुलग्नक I (ख) में दी गई है।
- ग) आवेदन केवल उम्मीदवार द्वारा ही प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इसे किसी भी स्थिति में किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, जिसमें "साइबर कैफे" भी शामिल है, प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिए। यह सुनिश्चित करना उम्मीदवार की ही जिम्मेदारी होगी कि आवेदन सही ढंग से प्रस्तुत किया गया है।
- घ) आवेदकों को उनके लॉगिन अकाउंट में उत्तर पुस्तिका की एक स्कैन की हुई कॉपी दी जाएगी, जिसमें परीक्षक/मूल्यांकनकर्ता/या परीक्षा प्रक्रिया से जुड़े किसी भी अन्य अधिकारी की पहचान से संबंधित सभी जानकारी को छिपा दिया जाएगा।

ड) उत्तर पुस्तिका की स्कैन की हुई कॉपी 'पहले आओ, पहले पाओ' के आधार पर उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा। इसका मतलब है कि यदि किसी उम्मीदवार ने आवेदन की पहली तारीख को आवेदन किया है, तो उस आवेदक को फोटोकॉपी सबसे पहले मिलेगी, और इसी क्रम में आगे भी।

च) उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की हुई कॉपी के लिए आवेदन करते समय, कोई उम्मीदवार एक या एक से अधिक विषयों के लिए आवेदन करना चुन सकता है। तथापि, आवेदन एक ही बार में करना होगा, टुकड़ों में नहीं।

छ) यदि कोई उम्मीदवार किसी विशेष विषय में दिए गए अंकों को चुनौती देना चाहता है, तो उसे सत्यापन/पुनर्मूल्यांकन, या दोनों के अगले चरणों के लिए आवेदन करना पड़ सकता है।

उत्तर पुस्तिका की फोटोकॉपी प्राप्त करने के बाद, कोई भी उम्मीदवार अपनी इच्छानुसार अंकों के सत्यापन और/या पुनर्मूल्यांकन, या दोनों के लिए आवेदन करने का पात्र होगा।





केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

(शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(An Autonomous Organisation under the Ministry of Education, Govt. of India)

(II) अंकों का सत्यापन

(क) केवल वे उम्मीदवार, जिन्होंने ऊपर बताए गए तरीके से मूल्यांकन की गई उत्तर पुस्तिका (ओं) की फोटोकॉपी के लिए आवेदन किया है, वे ही अंकों के सत्यापन के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे।

(ख) फोटोकॉपी प्राप्त होने के बाद, छात्र अपनी उत्तर पुस्तिका में मूल्यांकन से संबंधित किसी भी विसंगति या त्रुटि की जाँच कर सकते हैं। ये विवरण अनुलग्नक-II (क) में दिए गए हैं। आपसे अनुरोध है कि आप इसे ध्यानपूर्वक पढ़ें और समझें कि सही कार्रवाई कैसे करनी है।

(ग) आवेदक को संबंधित विषय की अंकन योजना/मार्किंग स्कीम देखनी होगी, जो प्रश्न पत्र के साथ वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। इसके बाद, उम्मीदवार आवश्यक प्रश्न(नों) के लिए, उचित तर्क के साथ, पुनर्मूल्यांकन हेतु आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। विवरण अनुलग्नक -II (ख) में संलग्न हैं। आपसे अनुरोध है कि इसे ध्यानपूर्वक पढ़ें और समझें कि सही कार्रवाई कैसे करनी है।

(घ) पुनर्मूल्यांकन की स्थिति वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी, जिसके बाद CBSE के क्षेत्रीय कार्यालय से एक औपचारिक सूचना भेजी जाएगी।

(ङ) अंकों में एक अंक की भी कमी होने पर उसे लागू किया जाएगा।

(च) पुनर्मूल्यांकन का परिणाम अंतिम होगा, और पुनर्मूल्यांकन के विरुद्ध किसी भी अपील या समीक्षा पर विचार नहीं किया जाएगा।

उपर्युक्त तीनों गतिविधियों के मामले में, दिए गए अंकों पर बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा और उम्मीदवारों पर बाध्यकारी होगा।

आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत उत्तर-पुस्तिका(ओं) की एक फोटोकॉपी, आरटीआई अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अनुसार प्रदान की जाएगी। हालाँकि, आरटीआई अधिनियम के तहत सत्यापन और/या पुनर्मूल्यांकन के लिए अनुरोध नहीं किया जा सकता है और ऐसे अनुरोधों पर विचार नहीं किया जाएगा।

हस्ता/-

(डॉ. संयम भारद्वाज)

परीक्षा नियंत्रक

वेब-एडमिन को प्रतिलिपि इस अनुरोध के साथ कि इसे सीबीएसई की वेबसाइट पर अपलोड किया जाए।





केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

(शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(An Autonomous Organisation under the Ministry of Education, Govt. of India)

अनुलग्नक - I (ए)

सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा (कक्षा XII) 2025 की पूरक परीक्षा के लिए, जाँची गई उत्तर पुस्तिकाओं की फोटोकॉपी प्राप्त करने, अंकों के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की समय सारिणी			
क्र. सं.	गतिविधि	अवधि	शुल्क
	जाँची गई उत्तर पुस्तिकाओं की फोटोकॉपी प्राप्त करना:		
1	ऑनलाइन आवेदन करना	06.08.2025 (बुधवार) से 07.08.2025 (गुरुवार) तक रात 11:59:59 बजे तक	रु. 700/- प्रति विषय स्कैन की गई कॉपी के लिए
	(क) अंकों का सत्यापन (ख) पुनर्मूल्यांकन (ग) सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन दोनों		
2	ऑनलाइन आवेदन करना	13.08.2025 (बुधवार) से 14.08.2025 (गुरुवार) तक रात 11:59:59 बजे तक।	1. रु. 500/- प्रति उत्तर पुस्तिका सत्यापन के लिए 2. रु. 100/- प्रति प्रश्न पुनर्मूल्यांकन के लिए

नोट:- ऑनलाइन प्रक्रियाएँ छुट्टियों के दिनों में भी की जा सकती हैं।





केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

(शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(An Autonomous Organisation under the Ministry of Education, Govt. of India)

अनुलग्नक -I (बी)

सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा (कक्षा X) 2025 की पूरक परीक्षा के लिए, जाँची गई उत्तर पुस्तिकाओं की फोटोकॉपी प्राप्त करने, अंकों के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की समय सारिणी			
क्र. सं.	गतिविधि	अवधि	शुल्क
	जाँची गई उत्तर पुस्तिकाओं की फोटोकॉपी प्राप्त करना:		
1	ऑनलाइन आवेदन करना	08.08.2025 (शुक्रवार) से 09.08.2025 (शनिवार) तक रात 11:59:59 बजे तक	रु. 700/- प्रति विषय स्कैन की गई कॉपी के लिए
	(क) अंकों का सत्यापन (ख) पुनर्मूल्यांकन (ग) सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन दोनों		
2	ऑनलाइन आवेदन करना	18.08.2025 (सोमवार) से 19.08.2025 (मंगलवार) तक रात 11:59:59 बजे तक।	1. रु. 500/- प्रति उत्तर पुस्तिका सत्यापन के लिए 2. रु. 100/- प्रति प्रश्न पुनर्मूल्यांकन के लिए

नोट:- ऑनलाइन प्रक्रियाएँ छुट्टियों के दिनों में भी की जा सकती हैं।

